न्यायालय, विशिष्ट न्यायाधीश,

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण), प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – **वैभव कुमार टेलर** (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विशिष्ट सेशन प्रकरण संख्या – 28/2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 385/2022 पुलिस थाना प्रतापगढ़

राजस्थान राज्य बनाम रोनक व अन्य

अपराध अंतर्गत धारा 143, 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

भाग–प्रथम

A

परिवादी	पुष्कर
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक
अभियुक्तगण का नाम व पता	01. रोनक पुत्र श्यामलाल, निवासी खेरोट, पुलिस थाना प्रतापगढ़, जिला–प्रतापगढ़(राज.) 02. विजय पुत्र गोपाल, निवासी खेरोट, पुलिस थाना प्रतापगढ़, जिला–प्रतापगढ़(राज.) 03. पवन पुत्र हीरालाल, निवासी खेरोट, पुलिस थाना प्रतापगढ़, जिला–प्रतापगढ़(राज.) 04. सूरज उर्फ हेमन्त गिरी पुत्र बाबु, निवासी खेरोट, पुलिस थाना प्रतापगढ़, जिला–प्रतापगढ़(राज.) 05. मांगु उर्फ मांगीलाल पुत्र शिव गिरी, निवासी खेरोट, पुलिस थाना प्रतापगढ़, जिला–प्रतापगढ़(राज.) 06. विनोद पुत्र पूरण गिरी, निवासी खेरोट, पुलिस थाना प्रतापगढ़, जिला–प्रतापगढ़(राज.) 07. राकेश पुत्र बाबु गिरी, निवासी धतुरिया, पुलिस थाना अफजलपुर (म.प्र.)
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री कमल सिंह गुर्जर
विशिष्ट लोक अभियोजक	श्री आशुतोष जोशी
अधिवक्ता परिवादी	–

B

अपराध की दिनांक	25.07.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	27.07.2022
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	28.07.2023
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	06.01.2024
साक्ष्य प्रारम्भ करने की दिनांक	02.04.2024
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	--
निर्णय दिनांक	30.06.2026

C – अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 468 BNSS (पूर्ववर्ती 428 CrPC) के उद्देश्य के लिये अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1	रोनक	07.09.2022	09.09.2022	143, 341, 323 IPC व 3(1)(r)(s), 3(2)(va) SC/ST Act	दोषमुक्त	--	07.09.2022 से 09.09.2022
2	विजय						
3	पवन						
4	सूरज उर्फ हेमन्त						
5	मांगु उर्फ मांगीलाल						
6	विनोद						
7	राकेश						

भाग – द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहन की सूची

अ–अभियोजन गवाहन

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, फर्द दस्तयाब, फर्द जब्ती, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, अन्य गवाह)
PW- 01	अर्जुन	आहत व चश्मदीद साक्षी
PW- 02	पुष्कर	परिवादी

PW- 03	कंचन बाई	चश्मदीद साक्षी
PW- 04	सीमा बाई	चश्मदीद साक्षी
PW- 05	श्यामलाल	चश्मदीद साक्षी
PW- 06	रमेश	चश्मदीद साक्षी
PW- 07	सत्यनारायण	चश्मदीद साक्षी
PW- 08	ऋषिकेश	अनुसंधान अधिकारी

ब-बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, फर्द दस्तयाब, फर्द जब्ती, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, अन्य गवाह)
-	--	--

स-न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, फर्द दस्तयाब, फर्द जब्ती, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, अन्य गवाह)
--	--	--

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ-अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1.	प्रदर्श पी- 01	नक्शा मौका प्रथम घटनास्थल
2.	प्रदर्श पी- 02	नक्शा मौका घटनास्थल
3.	प्रदर्श पी- 03	पुलिस बयान गवाह अर्जुन
4.	प्रदर्श पी- 04	मूल रिपोर्ट
5.	प्रदर्श पी- 05	चाक एफ.आई.आर.
6.	प्रदर्श पी- 06	पुलिस बयान गवाह पुष्कर
7.	प्रदर्श पी- 07	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त सूरज
8.	प्रदर्श पी- 08	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त पवन
9.	प्रदर्श पी- 09	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त रोनक
10.	प्रदर्श पी- 10	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त विजय

11.	प्रदर्श पी– 11	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त मांगु
12.	प्रदर्श पी– 12	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त विनोद
13.	प्रदर्श पी– 13	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त राकेश
14.	प्रदर्श पी– 14	पुलिस बयान गवाह श्रीमती कंचन बाई
15.	प्रदर्श पी– 15	पुलिस बयान गवाह श्रीमती सीमा बाई
16.	प्रदर्श पी– 16	पुलिस बयान गवाह श्यामलाल
17.	प्रदर्श पी– 17	पुलिस बयान गवाह रमेश
18.	प्रदर्श पी– 18	पुलिस बयान गवाह सत्यनारायण
19.	प्रदर्श पी– 19	परिवादी के जाति प्रमाण पत्र की प्रति
20.	प्रदर्श पी– 20	फर्द सूचना द्वारा अभियुक्त मांगु
21.	प्रदर्श पी– 21	फर्द बरामदगी लट्ठ द्वारा अभियुक्त मांगु
22.	प्रदर्श पी– 22	फर्द सूचना द्वारा अभियुक्त सूरज
23.	प्रदर्श पी– 23	फर्द बरामदगी लट्ठ द्वारा अभियुक्त सूरज
24.	प्रदर्श पी– 24	फर्द बरामदगीस्थ का नक्शा मौका द्वारा अभियुक्त मांगु
25.	प्रदर्श पी– 25	फर्द बरामदगीस्थल का नक्शा मौका द्वारा अभियुक्त सूरज

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
––	––	––

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर		विवरण
––	––		––

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नम्बर		विवरण
––	––	––	––

निर्णय दिनांक 30.06.2026

01– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 27.07.2022 को परिवादी पुष्कर ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना प्रतापगढ़ के समक्ष इस आशय की पेश की कि दिनांक 25.07.2022 काो सुबह करीब 10.30 बजे वह और अर्जुन दोनों कन्हैयालाल को मोटर साइकिल से उसके घर छोड़ने जा रहे थे, तब रोनक ने आवाज लगाकर कहा कि डेढ़के चमारटों इधर मोहल्ले में कैसे आ गये, तुम्हारा यहाँ क्या काम। ऐसा कहकर उसके साथ गाली–गलौच करते हुए अभियुक्तगण रोनक, पवन, रोशन, दीपक, विजय व अन्य ने मारपीट की और कहा कि चमारटों तुम्हारी ये मजाल कि हमसे कहते हो, तो गायरी समाज के लोग भी वहाँ एकत्रित हो उनके साथ मारपीट की और उन्हें दौड़ा–दौड़ा कर मारा। वे जान बचाकर वहाँ से आये। इसके बाद उसी दिन 4–5 बजे मेघवाल समाज के लोगों को सामुहिक रूप से मारने के लिये अभियुक्तगण रोशन, पवन, हीरालाल, मंशाराम, मिठुलाल, विजय, ईश्वर, घनश्याम, नरेन्द्र, आयुष, विशाल, दीपक गोस्वामी, बद्रीलाल, दीपक शर्मा, रोनक, श्याम, दीपक शर्मा, भंवर, दिनेश, विनोद, विजय, शिवलाल, समरथ, मांगीलाल, अशोक व विष्णु उनके मोहल्ले में हाथों में लट्ठ, धारिये, तलवारें लेकर आये और वार किया, जिसका वीडियो बनाया हुआ है और गाली–गलौच भी की कि चमारटों बाहर निकलो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। समाज वालों के साथ गंभीर मारपीट की गई और जातिगत रूप से अपमानित करने के लिये खुले में चमारटे, नीच जात के ऐसे शब्दों से प्रताड़ित किया। उसी दिन रात को 10.00 बजे भी उनके घरों की ओर अभियुक्तगण आये और दरवाजों को लट्ठ भड़ककर तोड़ दिया और अंजान मोबाइल नम्बर से राकेश गोस्वामी नाम बताकर गाली–गलौच कर जान से मारने की धमकियाँ दीं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना प्रतापगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 385/2022 अंतर्गत धारा 143, 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 143, 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

02– बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 143, 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(r), 3(1)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम व धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सपठित धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के तहत् अपराध का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने अपराध किया जाना अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

03– साक्ष्य अभियोजन में उपर्युक्त अंकित गवाह के बयान लेखबद्ध किये गये और उपर्युक्त अंकित दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्शित कराया गया।

04– साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर दिनांक 02.04.2024 को आहतगण पुष्कर व अर्जुन और सभी अभियुक्तगण ने आपस में राजीनामा हो जाना जाहिर किया तथा राजीनामा अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता पेश किया, जो बाद जाँच पृथक् से तस्दीक किया गया।

05– अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया, तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य का गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

06– बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

07– बहस के दौरान विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि परिवादी पी.डब्ल्यू–02 पुष्कर, आहत पी.डब्ल्यू–01 अर्जुन तथा अन्य सभी चश्मदीद गवाहों की साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा एक साथ मिलकर आहतगण को सदोष परिरोधित कर उनके साथ मारपीट करने व जाति सूचक शब्दों से गाली–गलौच करने के तथ्य प्रमाणित हो रहे हैं। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। इसलिये अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर दण्डित किया जावे।

08– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क रहा कि दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हो चुका है। परिवादी पी.डब्ल्यू–02 पुष्कर, आहत पी.डब्ल्यू–01 अर्जुन तथा अन्य सभी चश्मदीद गवाह पक्षद्रोही हुए हैं। आहतगण का कोई चोट प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ है। अभियुक्तगण को कथित अपराध से जोड़ने के लिये लेश मात्र भी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित करने का निवेदन किया।

09– बहस के तर्कों पर गौर किया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि–

01. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 25.07.2022 को सुबह 10.30 बजे, शाम को 4–5 बजे तथा रात को 10.00 बजे मौजा खेरोट में विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया तथा उक्त दिनांक को सुबह करीब 10.00 बजे परिवादी पुष्कर तथा अर्जुन को रास्ते में जाते हुए को रोककर सदोष अवरोधित कर उनके साथ स्वेच्छया कुंद हथियारों से मारपीट कर उन्हें साधारण उपहतियाँ कारित कीं और अभियुक्तगण ने उक्त लोक दृश्य स्थान पर स्वयं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का सदस्य नहीं होते हुए

तथा परिवादी पुष्कर व अर्जुन को यह जानते हुए, कि वे अनुसूचित जाति के वर्ग के सदस्य हैं, उन्हें अवमानित करने के आशय से अपमानित कर अभित्रस्त किया, उन्हें अपमानित करने व नीचा दिखाने के लिये ''ढेड़के, चमारटे'' जैसे जातिगत शब्दों से गाली–गलौच कर अपमानित किया और उन्हें सदोष अवरोधित कर उनके साथ मारपीट की?

02. यदि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाया जाता है, तो अभियुक्तगण के लिए उचित दण्ड क्या होगा?

10– मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध आहतगण पुष्कर व अर्जुन को सदोष अवरोधित कर उनके साथ मारपीट करने का आरोप है, लेकिन विचारण के दौरान दिनांक 02.04.2024 को आहतगण पुष्कर व अर्जुन तथा सभी अभियुक्तगण के बीच धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप के तहत् राजीनामा पेश होकर तस्दीक कराया जा चुका है। अतः अभियुक्तगण अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से राजीनामे के आधार पर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य हैं।

11– आहतगण के विरूद्ध शेष अपराध अंतर्गत धारा 143 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(r), 3(1)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम व धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सपठित धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में साक्ष्य का अवलोकन करें, तो गवाह पी.डब्ल्यू–02 पुष्कर परिवादी व आहत है, जिसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी–04 के आधार पर यह प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके अलावा गवाह पी.डब्ल्यू–01 अर्जुन भी आहत है। लेकिन अभियोजन पक्ष के उक्त दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण गवाह अपनी साक्ष्य में अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं करते हैं, जिसके कारण अभियोजन पक्ष के निवदेन पर उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया। अपनी साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में उक्त दोनों ही गवाहों ने समान रूप से यह कथन किया है कि उनकी साक्ष्य लेखबद्ध होने से करीब डेढ़ साल पहले सुबह 10.30 बजे वे और पंकज तीनों उनके दोस्त कन्हैयालाल को मोटर साइकिल से छोड़ने जा रहे थे कि पुराने पंचायत से खतोड़ी जाने वाले रास्ते पर कावड़ यात्रा आ रही थी, तो उन्होंने मोटर साइकिल साइड में खड़ी कर दी। आगे गवाहों ने समान रूप से यह कथन किया कि **कावड़ यात्रा निकलने के दौरान उन्हें किसी ने कोई जातिगत गालियाँ नहीं दीं, न ही किसी ने कुछ कहा था, न ही किसी ने उनके साथ मारपीट की थी।** फिर वे अपने–अपने घर चले गये थे। आगे गवाह कथन करते हैं कि शाम को करीब 4–5 बजे वे और जितेन्द्र तीनों पंचर की दुकान पर खड़े थे कि वहाँ पर विजेश, रोशन, दीपक, मांगु व पवन से उनकी आपस में कहासुनी हो गई

थी। इसके अलावा और कोई घटना होने से उक्त दोनों ही गवाह इन्कार करते हैं। गवाहों ने रात को भी उनके साथ घर पर कोई घटना नहीं होना बयान किया है और मात्र कहासुनी के अलावा और कोई घटना नहीं होना बताया है। गवाहों के कथनानुसार पुलिस द्वारा मौके पर आकर नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–01 व प्रदर्श पी–02 बनाये गये थे और पी.डब्ल्यू–02 पुष्कर ने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी–04 गाँव वालों द्वारा दर्ज करवाना बयान किया और चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–05 को प्रदर्शांकित करवाया। अभियोजन पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त दोनों ही गवाहों ने कहासुनी की बात को लेकर उनके पुलिस में बयान होना बताया और उनके पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी–03 व प्रदर्श पी–06 में कथित घटना के संबंध में अंकित तथ्यों को उनके द्वारा लिखाये जाने से इन्कार किया है। पी.डब्ल्यू–02 पुष्कर ने तो पुलिस को कोई घटनास्थल बताये जाने और उसके हस्ताक्षर घटनास्थल पर कराये जाने के तथ्य से भी इन्कार कर दिया है। दौराने प्रतिपरीक्षा अभियुक्त पक्ष उक्त दोनों ही गवाहों ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण द्वारा उनके विरूद्ध भी मुकदमा दर्ज कराया गया था। परिवादी पी.डब्ल्यू–02 पुष्कर के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाये जाने पर उनके द्वारा भी अभियुक्तगण के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। आगे पी.डब्ल्यू–02 पुष्कर ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि **अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ किसी प्रकार की कोई गाली–गलौच नहीं की गई थी और न ही कोई घटना कारित की थी।**

12– मामले में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि परिवादी पुष्कर द्वारा प्रस्तुत मूल रिपोर्ट प्रदर्श पी–04 के अनुसार दिनांक 25.07.2022 को घटित कुल 03 घटनाक्रम बताये गये हैं, जिनमें सुबह 10.30 बजे, उसी दिन 4–5 बजे और रात को 10.00 बजे अभियुक्तगण द्वारा एक साथ मिलकर अनुसूचित जाति वर्ग के आहतगण पुष्कर व अर्जुन के साथ मारपीट व गाली–गलौच करना बताया गया है, लेकिन मामले में दोनों ही आहतगण पुष्कर व अर्जुन के कोई चोट प्रतिवेदन प्रपत्र दौराने अनुसंधान ना तो तैयार किये गये हैं और ना ही अभियोजन पक्ष की ओर से पेश कर प्रदर्शित कराये गये हैं।

13– अभियोजन पक्ष की ओर से कथित घटनाक्रम के संबंध में चश्मदीद साक्षीगण के तौर पर परीक्षित अन्य सभी गवाह पी.डब्ल्यू–03 कंचन बाई, पी.डब्ल्यू–04 सीमा बाई, पी.डब्ल्यू–05 श्यामलाल, पी.डब्ल्यू–06 रमेश व पी.डब्ल्यू–07 सत्यनारायण भी पक्षद्रोही हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। पी.डब्ल्यू–03 कंचन बाई ने यह कथन किया है कि उसके लड़के अर्जुन ने उसे कुछ नहीं बताया था और उसने गणपत की दुकान पर अपने लड़के के साथ कोई घटना होते हुए नहीं देखी। गवाह ने मौके पर सिर्फ हल्ला सुनना और उसके मौके पर जाने पर वहाँ काफी भीड़ इकट्ठी होना बताया है और रात को करीब 8–

9 बजे भी उनके मोहल्ले में हाँका–हूँक होना तथा इसके सिवा और कोई घटना घटित नहीं होना बताया है। गवाह के कथनानुसार **उसने कोई और घटना न तो सुनी, न ही देखी थी।**

14– पी.डब्ल्यू–04 सीमा ने उसके रिश्तेदार की मौत होने के कारण दाह संस्कार में बाहर गाँव जाना, उसके लड़के जितेन्द्र द्वारा उसे फोन करके घर पर बुलाने पर उसका व उसके पति का रात में मोटर साइकिल लेकर घर पर आना और उसके लड़के से पूछने पर उसके द्वारा उन्हें कुछ नहीं बताया जाना बयान किया है और गवाह ने कोई घटना देखने या किसी घटना के बारे में सुनने से भी इन्कार किया है।

15– पी.डब्ल्यू–05 श्यामलाल ने आहतगण अर्जुन, पुष्कर और पंचर वाले गणपत को नहीं पहचानना बताया है और अभियुक्त विजय सुथार को जानना बताया है। गवाह के कथनानुसार विजय ने किसी के साथ मारपीट की हो, तो उसे पता नहीं है। गवाह ने अभियुक्तगण मांगीलाल व विनोद को भी पहचानना बताया है, लेकिन उनके द्वारा किसी के साथ मारपीट करने व गाली–गलौच करते हुए देखने से इन्कार किया है। गवाह ने मंशाराम, मिठुलाल व विजय को जानना बताया, लेकिन उनके द्वारा मौके पर आकर किसी का बीच–बचाव किया हो, तो उसे पता नहीं होना बताया है।

16– पी.डब्ल्यू–06 रमेश ने भी गणपत पंचर वाले की दुकान पर कोई लड़ाई–झगड़ा होते हुए नहीं देखना बताया है। गवाह के कथनानुसार उसने पुष्कर व अर्जुन के साथ कोई गाली–गलौच करते हुए नहीं सुना व न ही देखा था। गवाह ने अभियुक्तगण विजय, पवन व मांगीलाल को किसी के साथ गाली–गलौच करते हुए देखने से भी इन्कार किया है।

17– इसी प्रकार पी.डब्ल्यू–09 सत्यनारायण ने भी कोई लड़ाई–झगड़े की घटना देखने से इन्कार किया है और अर्जुन व पुष्कर के साथ किसी को गाली–गलौच व मारपीट करते हुए देखने से इन्कार किया और उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं होना बताया है।

18– उपर्युक्त सभी चश्मदीद गवाहों पी.डब्ल्यू–03 कंचन बाई, पी.डब्ल्यू–04 सीमा बाई, पी.डब्ल्यू–05 श्यामलाल, पी.डब्ल्यू–06 रमेश व पी.डब्ल्यू–07 सत्यनारायण ने अभियोजन पक्ष के द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उनके पुलिस बयानों क्रमशः प्रदर्श पी–14 लगायत प्रदर्श पी–18 में कथित घटनाक्रम के संबंध में वर्णित तथ्यों को उनके द्वारा लिखाये जाने से इन्कार किया है और अभियुक्त पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी होने से भी इन्कारी की है।

19– अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह पी.डब्ल्यू–08 ऋषिकेश ने C.O., SC/ST सेल के पद पर कार्यरत् रहते हुए इस प्रकरण में अनुसंधान करना बयान किया है और अनुसंधान के दौरान परिवादी पुष्कर की निशांदेही से नक्शा मौका प्रदर्श पी–01

व प्रदर्श पी–02 बनाये जाना, गवाहों के बयान लेखबद्ध करना, परिवादी का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–19 प्राप्त करना, अभियुक्तगण को गिरफ्तार करना तथा अभियुक्तगण मांगु व सूरज की सूचनाओं के आधार पर उनकी निशांदेही से घटना में प्रयुक्त लट्ठ बरामद करना बताया है। लेकिन जब्तशुदा लट्ठ घटना में प्रयुक्त हुए हों, इस बाबत् पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसे में केवल लट्ठ की बरामदगी से अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई आरोप साबित नहीं होता है।

20– इस प्रकार मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कथित घटनाक्रम के संबंध में परीक्षित दोनों आहतगण पी.डब्ल्यू–01 अर्जुन व पी.डब्ल्यू–02 पुष्कर तथा सभी चश्मदीद साक्षीगण पी.डब्ल्यू–03 कंचन बाई, पी.डब्ल्यू–04 सीमा बाई, पी.डब्ल्यू–05 श्यामलाल, पी.डब्ल्यू–06 रमेश व पी.डब्ल्यू–07 सत्यनारायण पक्षद्रोही होकर घटनाक्रम का लेश मात्र भी समर्थन नहीं करते हैं। गवाहों के कथनानुसार अभियुक्तगण द्वारा दोनों आहतगण पुष्कर व अर्जुन के साथ कोई जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली–गलौच तथा मारपीट नहीं की गई थी। मूल रिपोर्ट प्रदर्श पी–04 के अनुसार दिनांक 25.07.2022 को सुबह 10.30 बजे, उसी दिन 4–5 बजे और रात को 10.00 बजे के कुल 03 घटनाक्रम बताये गये हैं, जिनमें अभियुक्तगण द्वारा एक साथ मिलकर आहतगण पुष्कर व अर्जुन के साथ मारपीट व गाली–गलौच करना बताया गया है, लेकिन मामले में दोनों ही आहतगण पुष्कर व अर्जुन के कोई चोट प्रतिवेदन प्रपत्र अभियोजन पक्ष की ओर से पेश कर परीक्षित नहीं कराये गये हैं। मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से लेश मात्र भी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध यह संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है कि उन्होंने एक साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर लोक दृश्य स्थान पर अनुसूचित जाति वर्ग के आहतगण पुष्कर व अर्जुन को सदोष अवरोधित कर उनके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली–गलौच करते हुए उन्हें अपमानित तथा अभित्रस्त किया हो और उनके साथ मारपीट कर उन्हें साधारण चोटें पहुँचाई हों। अतः अभियुक्तगण अपराध अंतर्गत धारा 143 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(r), 3(1)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम व धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सपठित धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

21– अतः अभियुक्तगण 01. रोनक पुत्र श्यामलाल, निवासी खेरोट, पुलिस थाना प्रतापगढ़, जिला–प्रतापगढ़(राज.), 02. विजय पुत्र गोपाल, निवासी खेरोट,

पुलिस थाना प्रतापगढ़, जिला–प्रतापगढ़(राज.), 03. पवन पुत्र हीरालाल, निवासी खेरोट, पुलिस थाना प्रतापगढ़, जिला–प्रतापगढ़(राज.), 04. सूरज उर्फ हेमन्त गिरी पुत्र बाबु, निवासी खेरोट, पुलिस थाना प्रतापगढ़, जिला–प्रतापगढ़(राज.), 05. मांगु उर्फ मांगीलाल पुत्र शिव गिरी, निवासी खेरोट, पुलिस थाना प्रतापगढ़, जिला–प्रतापगढ़(राज.), 06. विनोद पुत्र पूरण गिरी, निवासी खेरोट, पुलिस थाना प्रतापगढ़, जिला–प्रतापगढ़(राज.) तथा 07. राकेश पुत्र बाबु गिरी, निवासी धतुरिया, पुलिस थाना अफजलपुर (म.प्र.) को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से राजीनामे के आधार पर तथा अपराध अंतर्गत धारा 143 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(r), 3(1)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम व धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सपठित धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के अन्वीक्षाकालीन जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

22– अभियुक्तगण को धारा 437A भारतीय दण्ड संहिता के तहत् 06 माह की अवधि के लिये 10,000–10,000 रूपये के जमानत–मुचलके पेश कर तस्दीक कराये जाने का आदेश दिया जाता है।

23– प्रकरण में जब्तशुदा लठ्ठों को बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे।

24– प्रकरण में आहतगण के कोई चोट प्रतिवेदन प्रदर्शित नहीं कराये गये हैं और पक्षकारान के बीच राजीनामा भी हो गया है। ऐसे में प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियाँ राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करते हैं। अतः आहतगण के पक्ष में किसी प्रतिकर की अनुशंषा नहीं की जाती है।

(वैभव कुमार टेलर)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.), प्रतापगढ़ (राज.)

24– निर्णय आज दिनांक 30.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by SAWAN SHARMA
Date: 2026.07.07 16:36:25 +0530

(वैभव कुमार टेलर)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.), प्रतापगढ़ (राज.)